# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2022 / जैसलमेर**

| **अपीलांटस** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| मखणिया उर्फ मखणाराम पुत्र स्व. पूराराम उम्र 70 वर्ष जाति मेघवाल हाल निवासी ग्राम बडोडा गांव तहसील व जिला जैसलमेर | 1. पतिया उर्फ पताराम पुत्र स्व. पूराराम<br>2. रामिया उर्फ रामाराम के का.मु<br>2/1आम्बीदेवी पत्नी रामाराम<br>2/2ईश्राराम पुत्र स्व रामाराम<br>2/3अमृतराम पुत्र स्व. रामाराम<br>2/4रेशमादेवी पुत्री स्व रामाराम<br>3. स्व. सांगिया उर्फ सांगाराम के कायम मुकाम<br>3/1धुड़ी देवी पत्नी सांगाराम<br>3/2दाउराम पुत्र सांगाराम<br>3/3मूलाराम पुत्र सांगाराम<br>3/4दुर्गाराम पुत्र सांगाराम<br>3/5सरसों पुत्री सांगाराम<br>3/6चन्दु पुत्री सांगाराम<br>4. कालिया उर्फ कालूराम पिता स्व. पूराराम उम्र 60 साल<br>5. आदिया उर्फ आदूराम पिता स्व पूराराम सर्वे जातियान मेघवंशी(मेघवाल) सर्वे निवासीयान ग्राम बडोडा गांव तहसील व जिला जैसलमेर<br>6. स्व. चिमिया उर्फ चिमाराम पिता स्व पूराराम कायम मुकाम 6/1 फकीराराम, 6/2 मानाराम, 6/3 हरीराम, 6/4 केकू( पत्नी), 6/5 मीमा, 6/6 सुशीला, 6/7 रूपली, 6/8 सरसों उर्फ टीवी (पुत्रियां) निवासी बडोडा गांव जैसलमेर<br>7. त्हसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2016 बअनवान पतिया उर्फ पताराम बनाम चिमिया वगैराह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.10.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री बशीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री टीकूराम गर्ग रेस्पोडेंट संख्या 01 02/01 से 02/03 व 04 से 05 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. वकील श्री गिरधारीलाल राठौड़ रेस्पोडेंट संख्या 03 के कायम मुकाम की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः— 13.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 232 कुल रकबा 89.01 बीघा ग्राम मूलाना पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ में आई हुई है जिसमें वादीगण का हिस्सा 6/7 व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/7 है। हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस के अलावा वादीगण व प्रतिवादीगण चिमिया ने एक साजीशपूर्ण मिलीभगत कर दावा प्रस्तुत करवाया और उसमें गलत तरीके से जहां पर अपीलांटस वादी का कब्जा काश्त नदी से लगता खेत था जहां से वह आसानी से अपने खेत में जा सकता था उसको बेईमानी व बदनीति से हटाकर उसकी जहग आदूराम का कब्जा काश्त व बंट बता दिया और अपीलांटस वदी को सभी खातेदारों के बीच में खेत में डाल दिया जहां पर उसके खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार सारी कार्यवाही बेईमानी पूर्ण अपीलांटस को अंधेरे में रखकर व उसके अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठा कर सारी कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस के अलावा वादीगण व प्रतिवादीगण चिमिया ने एक साजीशपूर्ण मिलीभगत कर दावा प्रस्तुत करवाया और उसमें गलत तरीके से जहां पर अपीलांटस वादी का कब्जा काश्त नदी से लगता खेत था जहां से वह आसानी से अपने खेत में जा सकता था उसको बेईमानी व बदनीति से हटाकर उसकी जहग आदूराम का कब्जा काश्त व वंट बता दिया और अपीलांटस वदी को सभी खातेदारों के बीच में खेत में डाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया जहां पर उसके खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार सारी कार्यवाही बेईमानी पूर्ण अपीलांटस को अंधेरे में रखकर व उसके अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठा कर सारी कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार फतेहगढ को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार फतेहगढ द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा शेष उतरदाता/वादीगण एवं प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार फतेहगढ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटन ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत उल्लेखित किये:–

RBJ 1996 SC Page 535
RLW 1999(2) Page 1358
AIR 1997 Page 3072
WLR 1996 Page 552
WLC 1998(2) Page 114

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है तथा जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर है। अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता संख्या 03 के कायम मुकाम के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हम पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाता है तो हमे कोई आपति नहीं होगी।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस के अलावा वादीगण व प्रतिवादीगण चिमिया ने एक साजीशपूर्ण मिलीभगत कर दावा प्रस्तुत करवाया और उसमें गलत तरीके से जहां पर अपीलांटस वादी का कब्जा काश्त नदी से लगता खेत था जहां से वह आसानी से अपने खेत में जा सकता था उसको बेईमानी व बदनीति से हटाकर उसकी जहग आदूराम का कब्जा काश्त व बंट बता दिया और अपीलांटस वदी को सभी खातेदारों के बीच में खेत में डाल दिया जहां पर उसके खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार सारी कार्यवाही बेईमानी पूर्ण अपीलांटस को अंधेरे में रखकर व उसके अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठा कर सारी कार्यवाही अमल में लाई गई। कई उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय में यह कहा है कि सदभावनापूर्वक किसी गरीब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसले टेक्नीकल ग्राउन्ड पर न करके मैरिटस पर किये जाने चाहिये। अभी एक माह पूर्व शेष वादीगण एवं प्रतिवादी ने हमारी खातेदारी भूमि में टयूबवैल, बेरा आदि खुदाई करने लगे और बिजलीघर चांदन के विभाग द्वारा बिजली के खंभे हमारी जमीन के पास डालने लगे तब अपीलांट/वादी ने अन्य वादीगण से इस दावे की कार्यवाही के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दावे का फैसला कुछ समय पहले हो गया है और म्यूटेशन भी भरवा लिया है तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से नकलें लेने के लिये दिनांक 20.03.2022 को प्रार्थना–पत्र दिया लेकिन संबंधित लिपिक द्वारा जानबूझकर कर चाही गई पूरी फाईल की नकले नहीं दी गई इसलिये दूसरा प्रार्थना–पत्र दिया गया जिस पर नकल प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRD 1999 Page 173
CCC 2010(3) Page 70(SC)
DNJ(SC) 223
AIR 2011 SCW Page 1388
RRD 1998 Page 319
RLW 2001(3) Page 1873
DNJ 1995 Page 605
AIR 2004 Page 18
AIR 1997 Page 134
RRD 1991 Page 135
RRT 2005(1) Page 588
RRD 1990 Page 477
RBJ(4) Page 182
RRD 1991 Page 492
RRD 1999 Page 309
RLW 2006(1) Page 276
RRT 2005(1) Page 568

वकील रेस्पोडेंटस ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर बहस सुने बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की घोषणा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतिम डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली सुनवाई हेतु नियत करने की कोई सूचना/नोटिस अपीलांटस को नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2016 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2016 बअनवान पतिया उर्फ पताराम बनाम चिमिया वगैराह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.10.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.01.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर